तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षरान्त
26/9/19	पत्रावली पेश हुई। आज अधिवक्ता [illegible] कार्य नहीं कर रहे हैं / हड़ताल पर हैं। पत्रावली मय आदेशिका के अनुसार दि. [illegible] को पेश हो।
27/9/19	[illegible] उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)
5/9/19	पत्रावली पेश हुई [illegible] अधिकारी [illegible] उपस्थित / अनुपस्थित / [illegible] कार्य / अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली मय आदेशिका की मालवा में आगामी दिनांक 25/9/19 को पेश हो।
24/9/19	पत्रावली पेश हुई। हाजिर पक्षकारान अनुपस्थित। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 27/9/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)
27/9/019	[illegible] पक्षकारान [illegible] प्रार्थना पत्र पर [illegible] के बारे सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार [illegible] 10 फिट चौड़ा रास्ता पर किसी प्रकार का बाधा या निर्माण नहीं रहने का रास्ता का नहीं रहने के कारण प्रतिपक्षी पक्ष को पाबन्द रखने हेतु निर्देश दिया है। [illegible] के प्रतिपक्षीगण के निर्देश दिया है प्रार्थी के [illegible] भूमि का 1/2 हिस्सा क्रय किया है [illegible] भूमि [illegible] भूमि के किसी हिस्से पर [illegible] उल्लंघन नहीं होने पर कोई रास्ता नहीं है। [illegible] प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। [illegible] पक्षकारान के बयान सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का [illegible] अवलोकन किया। रास्ता किसी के [illegible] भूमि पर कोई [illegible] नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर में करावें। (जगदीश गर्ग) उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner